जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 11-08-2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 11.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

विधि विरुद्ध जमाव, मार्ग अवरुद्ध करने, सदोष अवरोध व लोकसेवक पर हमला करने के मामले में वाँछित 11 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 345/19 धारा 143/341/283/336/353 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट में वाँछित 11 अभियुक्ता 1-गगनई पत्नी हरीलाल 2- लीचा पत्नी सीताराम 3- गेदुरी पत्नी बाबूलाल 4- उर्मिला पत्नी चिरकुट 5- जुगुरा पत्नी दयाराम 6- इशरावती पत्नी शिवबरन 7- तारादेवी पत्नी हनुमान 8- इन्द्रावती पत्नी झीनक 9- सोमनी पत्नी महगी 10- भागवानी पत्नी तीरथ 11- दीपा पत्नी उदयराज निवासीगण मंझरिया पठान टोला केवटहिया थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि दिनॉक 06-08-2019 को ग्राम मंझरिया पठान टोला केवटहिया थाना बखिरा मे कबड्डी खेलने के विवाद को लेकर दो पक्षो मे विवाद हो गया था मारपीट मे दुर्गेश पुत्र तूफानी निवासी मंझरिया टोला केवटहिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के भाई मजनू उर्फ रमेश को चोटे आई जिसको इलाज हेतु मेडिकल कालेज ले जाते समय रास्ते मे मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद महिलाओं द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर विधि विरुद्ध जमाव किया गया था।

थाना घनघटा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 287/19 धारा 147/363/366 भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट के अभियुक्त जितेन्द्र साहनी पुत्र पन्नालाल निवासी गहाशाह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनाँक 21.07.2018 को वादी की नाबालिग लड़की को 05 अन्य अज्ञात अभियुक्तों के साथ मिलकर भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनाँक 26.06.2019 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें आज दिनाँक 11.08.2019 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 304/19 धारा 363/366/376/506 भा0द0वि0 व ¾ पोक्सो एक्ट के अभियुक्त नीतीश कुमार चौधरी पुत्र कुमुद चौधरी निवासी किशनपुर थाना विभूतिपुर जनपद समस्तीपुर (बिहार) को वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

<u>पीआरवी आफ द </u>

<u>पीआरवी 2546 ने दो पक्षों मे हो रहे विवाद को कराया शान्त –</u> पीआरवी 2546 को थाना मेंहदावल क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 09939 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने के सम्बन्ध मे सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 08 मिनट में मौके पर पहुचकर विवाद को शान्त कराकर प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेंहदावल को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर मारपीट को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मु0आरक्षी सुभाष यादव,आरक्षी हरिकेश गुप्ता, आरक्षी राजकुमार पाण्डेय ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 05 वाहनों का चालान व 79 वाहनो से 72500 रू0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 11-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 05 वाहनों का चालान व 79 वाहनो से 72500रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार –

- **मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- **बखिरा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 11-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 21 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 76 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 02 लड़को से पूछताछ करने के पश्चात उनके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।